

न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला –बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 153 / 2009
संस्थित दिनांक-29.04.2009

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र
ठीकरी, जिला बड़वानी

..... अभियोगी

वि रु द्ध

भानू उर्फ हुकुम पिता मित्या उर्फ गोपाल,
निवासी ग्राम- लिन्गी फाटा बोरगांव,
तहसील- पंधाना, जिला- खण्डवा, (म.प्र.) अभियुक्त

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।

—:: निर्णय ::—
(आज दिनांक 25/09/2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 52/09 के आधार पर दिनांक 20.03.2009 को समय 03:50 बजे स्थान ए.बी.रोड़ बोगड़ नदी पुल के पास पीपरी में लोकमार्ग पर वाहन रेनो गाड़ी बिना रजि० नम्बर चेचिस नम्बर एस.ए. आर.डी.पी.एक्स.के.004903 व इंजन नम्बर जी.1408508के04395 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर भूपेन्द्र और देवराम को उपहति तथा सैलाभाई को घोर उपहति कारित करने के लिए भा.द.वि. की धारा-279, 337(2शीर्ष), 338 का अभियोग हैं ।

02. प्रकरण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था ।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.2009 गणेश भाई थाना ठीकरी में यह प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी कि वह धुलिया से अपने परिवार के साथ रेनो बिना नंबर की कार से इंदौर जा रहा था। उसे आरोपी भानु उर्फ हुकुम चला रहा था। आरोपी ने गाड़ी को तेज रफ्तार तथा लापरवाहीपूर्वक चलाकर बोरड नदी पुल के पास पलटी खिला दी जिसे उस गाड़ी में बैठे भूपेन्द्र, देवराम को चोटे आयी, उन्हें ईलाज के लिये अस्पताल छोड़ कर वह रिपोर्ट करने आया। गणेश भाई की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आपराध दर्ज कर आहतों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। नक्श मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। उक्त कार उसके दस्तावेज तथा आरोपी चालक की अनुज्ञप्ति जप्त करके विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. उक्त अनुसार आरोपी का भा.द.वि की धारा- 279, 337(2 शीर्ष), 338 का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया। दप्रस की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया ।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते है:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 20.03.2009 को समय 03:50 बजे लोकमार्ग ए.बी.रोड़ बोगड़ नदी पुल के पास पीपरी में लोकमार्ग पर वाहन रेनो गाड़ी बिना रजि0 नम्बर चेचिस नम्बर एस.ए.आर.डी. पी.एक्स.के.004903 व इंजन नम्बर जी.1408508के04395 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर भूपेन्द्र और देवराम व सैलाभाई का जीवन संकटापन्न किया?
2	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन रेनो गाड़ी बिना रजि0 नम्बर चेचिस नम्बर एस.ए.आर.डी.पी.एक्स.के. 004903 व इंजन नम्बर जी.1408508के04395 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर भुपेन्द्र, देवराम को उपहति कारित की?
3	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन रेनो गाड़ी बिना रजि0 नम्बर चेचिस नम्बर एस.ए.आर.डी.पी.एक्स.के. 004903 व इंजन नम्बर जी.1408508के04395 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर सैलाभाई को घोर उपहति कारित की?

—:सकारण निष्कर्ष:—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3 का निराकरण :-

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सैलाभाई अ.सा.1 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वाले दिन कार से धुलिया से इंदौर जा रहे थे तथा कार को आरोपी चला रहा था। वह कार की बीच की सीट में सो गया था। आरोपी कैसे चला रहा था मुझे नहीं मालूम। एक्सीडेंट के बाद वह बेहोश हो गया था। इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पुछने पर साक्षी ने सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी गाड़ी को तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चला कर लाया तथा पलटी खिला दी। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट भी उक्त बातें लिखाने से स्पष्ट इंकार किया।

07. शुभनारायण अ.सा.3 का कथन है कि दिनांक 20.03.2009 थाना ठीकरी में आरोपी गणेश के विरुद्ध उसकी नई कार तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटी खिलाने के संबंध में प्रदर्श पी-5 की रिपोर्ट लिखाना बताया है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी-6 का बनाया था तथा घटना स्थल से दुर्घटनाग्रस्त वाहन प्रदर्श पी-7 के अनुसार जप्त किया था। उसने गणेश के पेश करने पर वाहन का सेल लेटर बीमा तथा आरोपी का ड्राइविंग लाईसेंस प्रदर्श पी-8 के अनुसार जप्त किया था उसने दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नुकशानी पंचानाम प्रदर्श पी-10 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किए गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि गाड़ी में बैठे अन्य व्यक्तियों के नाम उसे याद नहीं हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना स्थल

पर बहुत से वाहन आते-जाते हैं लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने उसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी अथवा साक्षी ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने असत्य कार्यवाही की है।

08. डॉ. अमित नाइक अ.सा.2 कि दिनांक 23.03.09 को उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में थाना ठीकरी के प्रधान आरक्षक शुभनारायण मिश्रा द्वारा लाये जाने पर आहत सैलाभाई, भुपेन्द्र एवं देवराम की चोटों का परीक्षण किया था जिन्हें वाहन दुर्घटना में चोटे आना बताया था। साक्षी ने उक्त तीनों ही व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण करने पर उनहें **प्रदर्श 2,3,4** में दर्शित अनुसार चोटे आना बताया है।

09. डॉ. दुर्गा सिंह चौहान अ.सा. 4 का कथन है कि दिनांक 28.04.09 को उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में सैलाभाई पिता पोलाभाई के जबड़े और छाती के एक्स-रे की रिपोर्टिंग की थी तथा उसे पुरान अस्थिभंग की चोटे होना पायी थी। साक्षी ने उसका एक्स-रे प्रतिवेदन **प्रदर्श पी-11** और **प्रदर्श पी-12** को प्रमाणित किया है।

10. देवीसिंह अ.सा.5 का कथन है कि दिनांक 28.04.2009 को थाना ठीकरी के अपराध क्र 52/09 में जप्त एक नई रेनो कार बिना नंबर का निरीक्षण किया था और जॉच रिपोर्ट **प्रदर्श पी-13** की तैयार की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया। यहां तक की प्रकरण की रिपोर्ट लिखाने वाले गणेश भाई के संमन/जमानती वारंट/ गिरफ्तारी वारंट बार-बार भेजे जाने के बाद भी उक्त साक्षी को न्यायालय में उपस्थित नहीं रखा गया और उसे अदम पता होना बताया गया। यहां तक की प्रकरण के आहत सैलाभाई अ.सा. 1 ने भी आरोपी द्वारा घटना के समय उपेक्षापूर्ण या उलावलेपन से उसकी कार चलाने की स्पष्ट रूप से इंकार किया है तथा स्पष्ट किया है कि वह दुर्घटना के समय सो रहा था तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, स्थान और समय उक्त रेनो कार जिसका चेचिस नम्बर एस.ए.आर.डी.पी.एक्स.के. 004903 व इंजन नम्बर जी.1408508के04395 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चला कर गणेश, देवराम, सैलाभाई का जीवन संकटापन किया अथवा सैलाभाई का घोर उपहतियां कारित की है।

12. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी भानू उर्फ हुकुम पिता मित्या उर्फ गोपाल, निवासी ग्राम- लिन्नी फाटा बोरगांव, तहसील- पंधाना, जिला- खण्डवा, (म.प्र.) को भा.द.वि. की धारा-279, 337(2 शीर्ष), 338 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है। प्रकरण में जप्त रेनो कार जिसका चेचिस नम्बर एस.ए.आर.डी.पी.एक्स.के. 004903 व इंजन नम्बर जी.1408508के04395 वाहन के दस्तावेज एवं आरोपी का चालक अनुज्ञप्ति सुपुर्द पर है। अपील अवधि पश्चात् अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

13. आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / -

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

सही / -

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

